

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

‘राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन’ पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, के अंतर्गत की गई है।

यह प्रतिवेदन अगस्त 2019 से मार्च 2024 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को समाहित करता है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।